

File Copy

प्राधिकरण बोर्ड की 148वीं बैठक हेतु विचारणीय विषयों की सूची



तिथि: 09 अप्रैल, 2012
समय: मध्याह्न 12.00 बजे
स्थान: सभागार, मण्डलायुक्त
कार्यालय, लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की 148वीं बैठक दिनांक
09.04.2012 में विचारणीय विषय

क्रम	विषय	पृष्ठ संख्या
1	ग्राम-सेमरागढ़ी, सीतापुर रोड, लखनऊ की भूमि खसरा सं०-201, 204, 205, 218, 2019, 220, 222 एवं 223 का भू-उपयोग "आवासीय" से "सामुदायिक सुविधाएँ, उपयोगिताएँ एवं सेवायें (डेन्टल कालेज)" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	01

विषय: ग्राम-सेमरागढ़ी, सीतापुर रोड, लखनऊ की भूमि खसरा सं०-201, 204, 205, 218, 219, 220, 222 एवं 223 का भू-उपयोग "आवासीय" से "सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं (डेन्टल कालेज)" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या:

1. श्रीमती नयन तारा सिंह द्वारा दिनांक 24.04.2009 को शासन में खसरा संख्या-201, 204, 205, 218, 220 एवं 223, ग्राम-सेमरागढ़ी, सीतापुर रोड, लखनऊ क्षेत्रफल-3.3830 हे० पर डेन्टल कॉलेज के निर्माण हेतु स्थल के भू-उपयोग को शैक्षिक में परिवर्तित किये जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिस पर शासन के पत्र संख्या-2177/8-3-09-17-एल०यू०सी०/०९ दिनांक 07.05.2009 (अनुलग्नक-1) के माध्यम से प्राधिकरण से प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गयी।
2. शासन के उक्त पत्र के क्रम में स्थल के भू-उपयोग के सम्बन्ध में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-95/ल०म०यो०-2021/ल०ख०/2009-10 दिनांक 29.05.2009 (अनुलग्नक-2) के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग आवासीय है जबकि खसरा संख्या-201, 222, 223 के आंशिक भाग का भू-उपयोग 30 मी० चौड़ा प्रस्तावित मार्ग है। सहयुक्त नियोजक द्वारा अवगत करायी गयी भू-उपयोग आख्या के अनुसार आवेदक के पक्ष में कुल भूमि में से 0.292 हे० भूमि महायोजना के प्रस्तावित 30 मी० चौड़े मार्ग के अन्तर्गत आती है जबकि अवशेष 3.091 हे० भूमि आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत है।
3. प्रश्नगत स्थल की मौके से भी जांच करायी गयी। प्रश्नगत स्थल लखनऊ-सीतापुर मार्ग पर बायी ओर मुख्य मार्ग से लगभग 400 मी० अन्दर स्थित है तथा वर्तमान में इसकी एप्रोच 12 मी० चौड़े मार्ग से है। स्थल के आस-पास प्राइवेट सोसायटीज द्वारा कालोनियाँ विकसित की गयी है जिसमें से अधिकांश अवैध हैं।
4. उक्त स्थलीय एवं भू-उपयोग आख्या तथा शासनादेश संख्या-511/9-आ-3-98-32-एल०यू०सी०/96 दिनांक 20.04.1998 में दी गयी व्यवस्था, जिसमें इस प्रकार के भू-उपयोग के मामलों में उदारतापूर्वक विचार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, के अनुसार शासन को प्रश्नगत स्थल के भू-उपयोग को महायोजना मार्ग में आने वाली भूमि को छोड़ते हुए "सामुदायिक सुविधाएं (डेन्टल कॉलेज)" में परिवर्तित किये जाने का



प्रस्ताव पत्र संख्या-108/सचिव/नगर नियोजक/09-10 दिनांक 25.06.2009 (अनुलग्नक-3) के माध्यम से प्रेषित किया गया।

5. प्राधिकरण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में शासन द्वारा पत्र संख्या-वी0आई0पी0/78/8-3-09-17एल0यू0सी0/09 दिनांक 16.09.2009 (अनुलग्नक-4) के माध्यम से प्रकरण में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के तकनीकी परामर्श से निम्नवत् अवगत कराया गया:-
 “महायोजना-2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार आवासीय एवं मार्गाधिकार भू-उपयोग में डेण्टल कालेज का निर्माण निषिद्ध है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि शासनादेश दिनांक 17.09.1998 के अनुसार इंजीनियरिंग कालेज/मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज की स्थापना अधिकांशतः नगर क्षेत्र के बाहर कृषि भू-उपयोग की भूमि क्रय की जाती है तथा जितनी कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित होती है उतनी ही भूमि महायोजना में बाद में यथासमय कृषि उपयोग हेतु बढ़ायी जाती है, जबकि प्रश्नगत प्रकरण कृषि भू-उपयोग के परिवर्तन से सम्बन्धित नहीं है तथा शासनादेश की मूल मन्शा से भी आच्छादित नहीं है। उक्त स्थिति में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा यह परामर्श दिया गया कि प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन के औचित्य पर सर्वप्रथम प्राधिकरण बोर्ड स्तर पर निर्णय लिया जाय।”

शासन द्वारा उक्त परामर्श के आधार पर प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड स्तर से निर्णय लेते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गयी।

6. उपर्युक्त क्रम में तदक्रम में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.12.2009 के विषय संख्या-18 के अन्तर्गत प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

“चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम प्रश्नगत स्थल पर एप्रोच रोड व अन्य अवस्थापना की सुविधाओं की उपलब्धता का परीक्षण कराया जाये तथा इनके विकास में आने वाले व्यय को समानुपातिक रूप से वहन करने हेतु भू-स्वामी से लिखित सहमति प्राप्त की जाये।

उपरोक्त तथ्यों के परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव विस्तृत विवरण के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।”

7. प्राधिकरण के उपर्युक्त निर्णय के क्रम में स्थल पर अवस्थापना सुविधाओं एवं एप्रोच रोड का परीक्षण कराया गया जिस सम्बन्ध में आख्या अनुलग्नक-5 पर अवलोकनार्थ संलग्न है। पक्ष द्वारा दिये गये इस आशय के शपथ पत्र कि पक्ष द्वारा प्रस्तावित महायोजना मार्ग के विकास हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाएगी एवं मार्ग के विकास में आने वाले व्यय को समानुपातिक रूप से वहन किया जाएगा, के आधार पर

प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 08.09.2011 के विषय संख्या-26 के अन्तर्गत प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसे प्राधिकरण द्वारा पुनः परीक्षण हेतु स्थगित किया गया। तत्पश्चात यह प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।

8. श्रीमती नयन तारा सिंह अध्यक्ष, आई0डी0 सिंह मेमोरियल इन्सटीट्यूट द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 06.01.2012 (अनुलग्नक-6) के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-12888(एम0बी0)/2011 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2011 की प्रति संलग्न करते हुए तदक्रम में स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2011 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है:-

“ Heard Sri C.B. Pandey, learned counsel for petitioner and Sri U.N. Mishra, learned Counsel appearing on behalf of opposite parties no. 2 to 4.

Grievance of the petitioner is that petitioner is a society which applied for a plot of land in Lucknow Development Authority, Lucknow in order to establish a dental college in Lucknow and the Lucknow Development Authority, Lucknow is not converting the land use from residential to commercial (educational) as per the Govt. Orders issued for the purpose of establishment of Dental College.

Sri Mishra, on the basis of instructions, submitted that the matter is before the Board.


We dispose of this writ petition finally with the direction to the Lucknow Development Authority, Lucknow to adjudicate the controversy in accordance with law within a period of one month. In case, there is some dispute regarding change of land use, the same may be referred to the State Government who will take a decision within one month from the date of receipt of certified copy of this order.”

9. स्थलीय आख्या से यह स्पष्ट है कि मौके पर जो वर्तमान में मार्ग उपलब्ध है, उसकी चौड़ाई केवल 12.0 मी0 है एवं यह मार्ग अनाधिकृत कालोनियों से गुजर रहा है एवं इसकी लम्बाई में भी कुछ जगह अतिक्रमण भी है। जहाँ तक 30 मी0 चौड़े महायोजना मार्ग का प्रश्न है, मौके पर हुए अनाधिकृत निर्माण के दृष्टिगत इस हेतु भूमि अधिग्रहण एवं इसके निर्माण की सम्भावनाएँ भी अत्यन्त क्षीण है। स्थल पर अन्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी नियोजित रूप से नहीं हुआ है।

प्रस्ताव:

उपर्युक्त आख्या के क्रम में ग्राम-सेमरागढ़ी, सीतापुर रोड, लखनऊ की भूमि खसरा सं0-201, 204, 205, 218, 219, 220, 222 एवं 223 में से महायोजना मार्ग के 30 मी0 चौड़े प्रस्तावित मार्ग के अन्तर्गत आने वाली भूमि को छोड़ते हुए

अवशेष भूमि के भू-उपयोग को "आवासीय" से "सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं (डेन्टल कालेज)" में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है। प्राधिकरण बोर्ड की सहमति की दशा में उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा।



197/7P/09
14-5-09

उपाध्यक्ष कार्यालय
50245
01/5/2009

अनुक्रमांक-105

महत्वपूर्ण/प्राथमिकता

संख्या- 2177/8-3-09-17एल यू.सी./09

प्रेषक

राम निरंजन

अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

लखनऊ विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 7 मई, 2009

विषय:-ग्राम सेमरा गौधी परगना व तहसील लखनऊ सीतापुर रोड,
स्थित खसरा संख्या-204,205,218,219,220,221,222,223 एवं
201 का भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्रीमती नयनतारा सिंह, महानगर, लखनऊ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक-24.04.09 तथा साथ में प्राप्त खसरा-खतौनी की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त उल्लिखित खसरा नम्बरान की भूमि का भू-उपयोग आवासीय से डेन्टल कालेज में परिवर्तित किये जाने का सुविचारित प्रस्ताव शासन को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(राम निरंजन)
अनु सचिव।

197/P.A(C.T-P)

11/5/09
T.P.

13/05/09

A.P.P./A.220

ऊपर भू-प्रयोग की आवश्यकता हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करें,
मुझे इस सम्बन्ध में क्या अपेक्षा है।

O.P.(135)

13/05/09
P.A.

15/5/09
A.P.P.



I.D. Singh Memorial Institute

B-28, Sector-A, Mahanagar, Lucknow

Ph. : 0522-2335084 (Fax), Mob. : 9450251483

दिनांक 21/7/8-3-2009

17 LUC/2009
आवास/

To,
The Under Secretary,
Housing and Urban Planning (Section 3)
U.P.Civil Secretariat, Lucknow.

Sub. - Application for change of Land use from Housing (Aawasia) to Educational

Sir,

The applicant is the president of the I.D Singh Memorial Society having its registered office at B-28 Sector A, Mahan agar, Lucknow.

The society wishes to establish and operate a Dental College in the name of I.D. Singh Memorial Dental College for which the requisite sanction has been obtained from the State Government (copy of the sanction of the State Government is annexed. as annexure no 1)

This institute is proposed to be set up at village Semra Gaurhi, Pargana, Tehsil and District Lucknow.

The Khasra nos. of the plot on which the proposed Dental College is to be set up are 204, 205, 218, 219, 220, 221 222, 223 and 201 having a total area of 3.3830 Hectares (copy of the Khautani and the map is annexed as annexure no 2)

The land is located on the Luck now— Sitapur Road near the Engineering College (IET) Luck now (copy of the approach map is annexed as annexure no 3).

The above land was purchased by the applicant by a registered sale deed dated 16/01/1985 from its earlier owner Gur Dayal Singh Nagar (Sale Deed is annexed as annexure no 4).

The applicant has already leased out the above mentioned land to the I.D. Singh Memorial Society for a period of 30 years to run and operate the Dental College.

As is evident from the Khatauni, a declaration under section 143 UPZA and LR Act has been obtained for the above mentioned land by order dated 13/10/08.

As per the Master Plan of Lucknow 2021 the land in question is reserved for Housing (Aawasia) purposes.

आवास: 3
04-15-09

(Handwritten signature and stamp)
I.D. Singh
04/15/09

Mayank Singh

5

07



I.D. Singh Memorial Institute

B-28, Sector-A, Mahanagar, Lucknow.
Ph. : 0522-2335084 (Fax), Mob. : 9450851483

The applicant humbly requests that the land use of the above mentioned land be changed for Educational purpose from Housing. The applicant is ready to deposit the necessary charges for this purpose.

Lucknow:-

Dated:- 24/04/2009

Nayan Tara Singh
Applicant
(Nayantara Singh)

कार्यालय सहयुक्त नियोजक,
सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०,
एल०डी०ए० शापिंग सेन्टर, कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ

पत्रसंख्या: 157/ल०म०यो०-2021/ल०ख०/2009-10

दिनांक: 29-5-09

सेवा में,

नगर नियोजक,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
नवीन भवन, विपिन खण्ड,
गेमती नगर, लखनऊ।

विषय:- संख्या-201, 204, एवं 218 से 223 स्थित ग्राम- सेमरा गढ़ी परगना व तहसील तथा जिला लखनऊ के भू-प्रयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 74/टीपी/2009-10 दिनांक 22.5.2009 के संदर्भ में अवगत कराना है कि ग्राम सेमरा गढ़ी के खसरा नम्बर 201, 222 एवं 223 के आंशिक भाग का भू-उपयोग लखनऊ महायोजना-2021 के अनुसार 30 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग तथा आंशिक भाग का भू-उपयोग लखनऊ महायोजना-2021 के अनुसार आवासीय प्रस्तावित है। ग्राम सेमरा गढ़ी के खसरा नम्बर 204, 205, 218, से 221 का भू-उपयोग लखनऊ महायोजना-2021 के अनुसार आवासीय प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि चूंकि अभी तक लखनऊ महायोजना का स्थानान्तरण सजरे पर नहीं हुआ है अतः इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त विवरण के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने स्तर से संतुष्ट हो लें एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस०एस० इलाल)
सहयुक्त नियोजक

मा/एए(प)
को पत्र कमी-सहित
प्रस्तुत करें।
29/5/09
T.P.

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्रेषक, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या- 1081/न0नि0/09-10 दिनांक: 25.06.09.....	सेवा में, अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

बिषय-

ग्राम-सेमरा गोढ़ी परगना व तहसील लखनऊ सीतापुर रोड स्थित भूमि खसरा संख्या- 204, 205 व 218, 219, 220, 221, 222, 223 एवं 201 के भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त बिषयक शासन के पत्र संख्या- 2177(1)/आठ-3-09-17 एल0यू0सी0/09 दिनांक: 29.05.09 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त क्रम में प्रकरण की जाँच करायी गयी। प्रश्नगत स्थल लखनऊ-सीतापुर मार्ग पर बायीं ओर मुख्य मार्ग से लगभग 400 मीटर अन्दर तथा वर्तमान में 12 मीटर चौड़े मार्ग से इसकी एप्रोच है। स्थल के आस-पास प्राईवेट सोसायटीज द्वारा कालोनियाँ विकसित की गयी हैं, जिसमें कि अधिकांश कालोनी अवैध प्रतीत होती है। स्थल के भू-उपयोग के सम्बन्ध में सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, उ0प्र0 से आख्या प्राप्त की गयी। उक्त आख्या के अनुसार खसरा संख्या- 201 में 0.94 हे0, 222 में 00.07 हे0 एवं 223 में 00.128 हे0 कुल रकबा-1.138 हेक्टेअर का भू-उपयोग 30.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग है तथा शेष 2.245 हेक्टेअर भूमि सहयुक्त नियोजक की आख्या के अनुसार आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इससे स्पष्ट है कि स्थल पर स्थित कुल भूमि में से 2.245 हेक्टेअर भूमि जिसका कि भू-उपयोग आवासीय है, पर डेण्टल कालेज के निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव दिया गया है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के अनुसार डेण्टल कालेज हेतु न्यूनतम 2.00 हेक्टेअर भूमि की आवश्यकता होती है, जबकि प्रश्नगत भूखण्ड में महायोजना मार्ग की भूमि को छोड़ते हुए आवासीय के अन्तर्गत 2.245 हेक्टेअर भूमि उपलब्ध है, जोकि डेण्टल कालेज हेतु न्यूनतम निर्धारित भूमि से अधिक है।

शासनादेश संख्या-511/9-आ-3-98-32-एल0सू0सी0/96 दिनांक: 20 अप्रैल, 1998 (छायाप्रति संलग्न) में दी गयी व्यवस्थानुसार निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेजों, मेडिकल कालेजों हेतु तथा डेन्टल कालेजों को प्राविधिक शिक्षा विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की दशा में इन मामलों पर उदारतापूर्वक विचार किये जाने तथा इन्हें समयबद्ध रूप से निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनादेश में यह भी व्यवस्था दी गयी है कि इन प्रस्तावों पर प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की आख्या भी आवश्यकतानुसार ही प्राप्त की जायेगी। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदिका द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी एसेन्सिएलिटी सर्टिफिकेट नं0-1333/71-3-2008-107/2007 लखनऊ दिनांक: 01.05.2005 (छायाप्रति संलग्न) संलग्न किया गया है तथा भू-स्वामित्व के रूप में खतौनी (छायाप्रति संलग्न) प्रस्तुत की गई है।

अतः उपर्युक्त आख्या के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण में महायोजना मार्ग के अन्तर्गत आने वाली भूमि को छोड़ते हुये अवशेष खसरा संख्या- 204, 205 व 218, 219, 220, 221, 222, 223 तथा 201 की 2.245 हेक्टेअर भूमि के भू-उपयोग को आवासीय से सामुदायिक सुविधाओं (डेन्टल कालेज) में परिवर्तन किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को निम्नलिखित विचारणीय बिन्दुओं के अधीन अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- (1) प्रश्नगत स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन के लिये यथानिर्धारित शुल्क यथासमय देय होगा।
- (2) वर्तमान में स्थल की एप्रोच 12.00 मी0 चौड़े मार्ग से है, यद्यपि प्रश्नगत स्थल से महायोजना का 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित है, तथापि एप्रोच के बिन्दु पर शासन स्तर से निर्णय आवश्यक होगा।

संलग्न-अधोपार

भवदीय,

25/08/09
(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव

अनुलग्नक-4 12

58503

37

संख्या-सी.आई.पी. 78/8-3-09-17एल.यू.सी./09

प्रेषक-

राम निरंजन,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 16 सितम्बर, 2009

विषय :- ग्राम सोमरागढी परगना-तहसील व जिला-लखनऊ सीतापुर रोड स्थित भूमि खसरा संख्या-204, 205, 218, 219, 220, 221, 222 एवं 201 का भू-उपयोग आवासीय से सामुदायिक सुविधाओं (डेन्टल कालेज) में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-2177/08-3-09-17 एल यू.सी./09, दिनांक 29.05.09 के संदर्भ में कृपया सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-108/सचिव/सं0नि0209-10, दिनांक 26.06.09 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का तकनीकी परामर्श प्राप्त किया गया। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा यह परामर्श दिया गया कि लखनऊ महायोजना-2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार आवासीय एवं मार्गाधिकार भू-उपयोग में डेन्टल कालेज का निर्माण निषिद्ध है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि शासनादेश दिनांक 17.09.98 के अनुसार इंजीनियरिंग कालेज/मेडिकल कालेज/डेन्टल कालेज की स्थापना अधिकांशतः नगर क्षेत्र के बाहर कृषि भू-उपयोग की भूमि क्रय की जाती है तथा जिलानी कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित होती है उतनी ही भूमि महायोजना में वाद में यथासमय कृषि उपयोग हेतु बढ़ायी जाती है, जबकि प्रश्नगत प्रकरण कृषि-भू-उपयोग के परिवर्तन से सम्बन्धित नहीं है तथा शासनादेश की गूल प्रस्ताव से भी जांचावित नहीं है। उक्त स्थिति में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा यह परामर्श दिया गया कि प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन के औचित्य पर सर्वप्रथम प्राधिकरण बोर्ड स्तर पर निर्णय लिया जाय।

अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा दिये गये तकनीकी परामर्श के अनुसार प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन के औचित्य पर प्राधिकरण बोर्ड स्तर पर निर्णय लेते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
16-9-09
(राम निरंजन)
अनुसचिव।

प्रस्तावित आई0डी0 सिंह मेमोरियल डेन्टल कालेज के पहुंच मार्ग के
संबंध में स्थलीय आख्या

आई0आई0एम0 रोड से ग्राम सेमरा गौड़ी के अन्तर्गत प्रस्तावित पहुंच मार्ग का स्थलीय अनुसार दूरी लगभग 981 मीटर की दूरी के उपरान्त प्रस्तावित डेन्टल कालेज प्रस्तावित है जिसमें मुख्य मार्ग आई0आई0एम0 रोड के सम्पर्क मार्ग से होते हुए विकास कार्य के अन्तर्गत नाली, सीवर, विद्युतीकरण, पानी की आपूर्ति आदि के कार्य जगह- 2 पर अपूर्ण है तथा पहुंच मार्ग का लगभग 200 मीटर की दूरी डामर से निर्मित है तथा स्थल पर चौड़ाई लगभग 9 मीटर है। अवशेष स्थल की दूरी 781 मीटर के अन्तर्गत मार्ग, प्राईवेट कालोनियों, (सोसाइटियों) से 3 मीटर चौड़े खड़जें मार्ग से होकर गुजरता है। नाली, सीवर, पानी की आपूर्ति, विद्युतीकरण आदि अवशेष है। इन्हीं स्थानों से पहुंच मार्ग 12 मीटर चौड़ा प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें,

(Handwritten signature)
16-1-2012
(Handwritten initials)

(Handwritten signature)
16-1-12
(Handwritten initials)

(Handwritten signature)
16/01/2012
(*(Handwritten name)* कुमार)
अधिसासी अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण

T. P.

अनुलक्षक-6
14
1588



I.D. Singh Memorial Institute

B 28, Sector-A, Mahanagar, Lucknow.

Ph : 0522-2335024 (Fax) Mob : 9451251182

उपस्थित कार्यालय
लखनऊ विकास प्राधिकरण
कम्प्यूटर संख्या 99432
दिनांक 6/1/2012

709/TP/12
07-1-12

To,

Date :

The Vice Chairman,
Lucknow Development Authority,
Lucknow

कोर्ट केस

Sub : Land use change for establishing a Dental College.

Ref: Order, dated 22.12.2011, passed by the Hon'ble High Court in W.P. No. 12888 (M/B) of 2011 (I.D. Singh Memorial Institute Vs. State of U.P. and others.

श्री. नारायण
11/1/2012
06/1/12
आ. प्र. वि. सं. प्र.

Sir,

The I.D. Singh Memorial Institute is a registered society and in establishing a dental college in Village- Semragarhi, Sitapur Road, Lucknow. I had submitted an application for change of land use of Khasra No. 201, 204, 205, 218, 220 and 223, Village- Semragarhi, Sitapur Road, Lucknow. Subsequently, a spot inspection/survey was carried out and it was found that out of tota land-in-question, 1.38 hectares falls in the area proposed for road. Sparing this area, the society has 2.245 hectares of land falling in area earmarked for residential buildings. The land use of this 2.245 hectares can easily be converted to commercial/educational in light of the Govt. orders, dated 20.04.1998 and 17.09.1998. The requirement area in case of dental college is 2 hectares. Therefore, if the use of 2.245 hectares is converted to commercial/educational the society can proceed with the establishment of the dental college.

The society had filed a writ petition referred to above and the Hon'ble High Court by its order, dated 22.12.2011, has directed the LDA to take a decision within one month and refer the matter to the State Govt. Copy of the order, dated 22.12.2011 is being enclosed for your kind perusal.

I, therefore, request your goodself to take necessary steps for conversion of land use in terms of my earlier application and I shall ever be grateful for this act of kindness on your part.


Thanks and regards,

Yours truly,
Nayan Tara Singh
(Nayan Tara Singh)
President

Copy to:

Principal Secretary to the Govt. of U.P., Department of Housing & Urban Development, Civil Secretariat, Lucknow for information and necessary action for compliance of the order, dated 22.12.2011.

(167)
45



CANC

CANC


V-16621/23-12-11

Serial No. with Date
 Date of Application 23/12/11
 Date 04/1/12
 Signature of applicant
 Authority 05/1/12

[Handwritten Signature]
 05/1/12

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Sitting at Lucknow

Writ Petition No. 320710/2011 (MB) of 2011



320710/2011 3814
20/11/2011
20/11/2011

I.D. Singh Memorial Institute, B-28, Sector A-2, Mahanagar,
Lucknow, through its President, Nayantara Singh, aged about 68
years, W/o-Late Indra Dev Singh, R/o- B-28, Sector A-2, Mahanagar,
Lucknow, U.P.

.....Petitioner

Versus

1. State of U.P. through Secretary to the Govt., Department of Housing & Urban Development, Civil Secretariat, Lucknow.
2. Lucknow Development Authority, Lucknow, through its Vice Chairman.
3. Vice Chairman, Lucknow Development Authority, Lucknow.
4. Secretary, Lucknow Development Authority, Lucknow.

.....Opposite Parties



17
10/6

Court No. - 27

Case :- MISC. BENCH No. 1988 of 2011

Petitioner :- I D Singh Memorial Institute B 28 Sector A 2 Mahanagar
Respondent :- State Of U.P. The Secy. Housing And Urban Deptt. Lko. & 3
Ors.
Petitioner Counsel :- Chandra Bhushan Pandey
Respondent Counsel :- U. N. Misra

Hon'ble Devi Prasad Singh, J.
Hon'ble Devendra Kumar Arora, J.

Heard Sri C. B. Pandey, learned counsel for petitioner and Sri U. N. Misra, learned Counsel appearing on behalf of opposite parties no. 2 to 4.

Grievance of the petitioner is that petitioner is a Society which applied for a plot of land in Lucknow Development Authority, Lucknow in order to establish a dental college in Lucknow and the Lucknow Development Authority, Lucknow is not converting the land use from residential to commercial (educational) as per the Govt. Orders issued for the purpose of establishment of Dental College.

Sri Misra, on the basis of instructions, submitted that the matter is before the Board.

We dispose of this writ petition finally with the direction to the Lucknow Development Authority, Lucknow to adjudicate the controversy in accordance with law within a period of one month. In case, there is some dispute regarding change of land use, the same may be referred to the State Government who will take a decision within one month from the date of receipt of certified copy of this order.

Order Date :- 22.12.2011
asok

Sri Devi Prasad Singh

Sri Devendra Kumar Arora



22/12/11



K. D. Singh
27/12
R

LUCKNOW COURT
Shri
27-01-12
Reaction Officer
Copying Department
High Court, Lucknow Ben.
LUCKNOW

आनन्द कुमार सिंह
पी.सी.एस.
सचिव



दूरभाष : 0522-2302576
कार्यालय : 0522-2621425

लखनऊ विकास प्राधिकरण
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

अ0शा0प0सं0 2104/सचिव, व. अ0


दिनांक 02/04/2012

हरदोई रोड (बसन्तकुंज योजना) में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित 06 ग्रामों के किसानों एवं सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना तथा अम्बेडकर नगर योजना के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित 12 ग्रामों के कृषकों को आवासीय एवं जीवन-यापन की समस्या के दृष्टिगत रियायती दरों पर आवासीय सुविधा एवं जीविकोपार्जन हेतु प्राथमिकता पर चबूतरों का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक निकट भविष्य में शीघ्र होने की सम्भावना नहीं है, अतः उपर्युक्त प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया परिचालन के माध्यम से अपनी सहमति प्रदान करने का कष्ट करें।


संलग्नक:- यथोक्त।

भवनिष्ठ,


02.4.12
(आनन्द कुमार सिंह)

1. श्री प्रशान्त त्रिवेदी,
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

2. श्री शम्भू नाथ शुक्ला,
प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन
उत्तर प्रदेश शासन


श.श.नाथ, 34 सं. वि. व.
आवास एवं शहरी नियोजन

3. श्री राजीव अग्रवाल
उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0

.....

4. श्री अनुराग यादव,
जिलाधिकारी, लखनऊ।

.....

5. श्री पी0वी0 जगनमोहन
आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं
विकास परिषद

.....

6. श्री मनोज कुमार सिंह,
महानिदेशक एवं प्रबन्ध निदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0।

R-S-Yadav
Jt Director, Tourism
Lucknow

7. श्री शैलेश कुमार सिंह,
नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।

Pratap Singh Bhasnigra
Asst Municipal Commissioner
of

8. श्री लालजी,
निदेशक, कोषागार, लखनऊ।

9/4/2012
मुख्य निदेशक कोषागार एवं पत्र
नाम 25/1/2012

9. श्री ए0के0 चतुर्वेदी,
संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल।

.....

10. श्री राजेन्द्र प्रसाद,
मुख्य अभियन्ता, जल निगम, लखनऊ।

9-4-2012
(श्री राजेन्द्र प्रसाद)
मुख्य अभियन्ता (ज.नि.)
जल निगम लखनऊ

11. श्री एन0आर0 वर्मा,
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।

.....
9/4/2012

विषय संख्या :-

विषय :- हरदोई रोड (बसंतकुंज योजना) में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित 06 ग्रामों के किसानों एवं सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना तथा अम्बेडकर नगर योजना के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित 12 ग्रामों के कृषकों को आवासीय एवं जीवन-यापन की समस्या के दृष्टिगत रियायती दरों पर आवासीय सुविधा एवं जीविकोपार्जन हेतु प्राथमिकता पर चबूतरों का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या :-

ल०वि०प्रा० द्वारा हरदोई रोड (बसंतकुंज योजना) हेतु 06 ग्रामों क्रमशः बरीकला, बरावनखुर्द, गजराहार, पीरनगर, बेगरिया व छन्दोईया तथा सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना एवं अम्बेडकर नगर योजना हेतु 12 ग्राम क्रमशः सेमरागढी, मोहिबुल्लापुर, खलीलाबाद, बटहा सबौली, अकिलापुर, सिकन्दरपुर, पहाड़पुर, जाहिदपुर, अतरौली, मोहिउद्दीनपुर, भिटौलीखुर्द तथा खरगापुर जागीर की भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1981 एवं 1983 में किया गया था। इन योजनाओं में मौके पर प्रतिकर वितरण एवं अन्य विकास सम्बन्धी मांगों को लेकर समय-समय पर भू-धारकों द्वारा विरोध किये जाने के कारण विकास गतिविधियां समुचित रूप से संचालित नहीं हो पा रही थी। समय-समय पर प्रभावित व्यक्तियों से वार्ता एवं समझौता प्रक्रिया के तहत प्रतिकर की दरों में बढ़ोत्तरी करते हुए प्रतिरोध को शमित किये जाने के प्रयास किये गये, जिसके क्रम में अब मौके पर विकास प्रक्रिया आरंभ हो पायी है, किन्तु अभी भी किसानों के द्वारा प्रभावित ग्रामों में विकास कार्य किये जाने एवं भू अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों को वैकल्पिक आवासीय सुविधा तथा जीविकोपार्जन हेतु वैकल्पिक उपाय किये जाने की मांगों के दृष्टिगत, प्रतिरोध किया जाता है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के विचारण हेतु प्रस्तुत है :-

प्रस्ताव :-

प्रभावित कृषक परिवारों को आवासीय सुविधा एवं जीविकोपार्जन के वैकल्पिक उपाय हेतु प्लेटफार्म आवंटित किये जाने की सुविधा प्रदत्त किये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं पर अनुमोदन अपेक्षित है :-

आवासीय सुविधा :-

1. हरदोई रोड स्थित बसंतकुंज योजना के भू-अधिग्रहण से प्रभावित 06 ग्रामों के किसानों के लिए हरदोई रोड योजना स्थित सेक्टर-आई में निर्माणाधीन पंचशील अफोर्डेबल भवन में 112 भवन का आवंटन भू-अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के मध्य लाटरी पद्धति से कर दिया जाये।
2. सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना एवं अम्बेडकर नगर योजना (जानकीपुरम एवं जानकीपुरम विस्तार योजना) के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित 12 ग्रामों के किसानों के लिए जानकीपुरम विस्तार

(संयोजक/सहायक निदेश)
सहायक निदेश (अवकाश)
सं-वि-सं-०

(निदेशक/सहायक निदेश)
निदेशक/सहायक निदेश

सं-वि-सं-०

Gyan
23/2/12

योजना के सेक्टर-3 स्थित खरगापुर ग्राम के निकट फ्यूचर डेवलपमेंट हेतु आरक्षित भूमि पर 160 भवनों का निर्माण कर उनका आवंटन प्रभावित परिवारों के मध्य लाटरी पद्धति से कर दिया जाये।

3. लाटरी पद्धति में सम्मिलित किये जाने हेतु अर्हता की दृष्टि से परिवार का आशय सम्बन्धित योजना के भूमि अधिग्रहण की धारा-4 के गजट प्रकाशन की तिथि को परिवार में सम्मिलित पति, पत्नी एवं नाबालिग बच्चों से है।
4. लाटरी पद्धति से आवंटन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग आदि को देय आरक्षण शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगा, किन्तु चूंकि उक्त आवंटन प्रभावित कृषकों के मध्य किया जाना है, अतः विधायक/सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सरकारी सेवक तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
5. लाटरी में सम्मिलित किये जाने हेतु वही परिवार अर्ह होंगे जो सम्बन्धित योजना के लिए भूमि अधिग्रहण की धारा-4 के प्रकाशन के दिनांक को 02 हे0 कृषि भूमि धृत कर रहे थे, अर्थात् लघु एवं सीमांत कृषक की परिधि में आते थे।
6. भू-अधिग्रहण से प्रभावित कृषकों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उन्हें भवनों के आवंटन में पूर्व में प्राधिकरण बोर्ड की 140वीं बैठक दिनांक 31 दिसम्बर 2009 के विषय संख्या-21 पर प्राधिकरण द्वारा प्रचलित दर में 35% छूट देने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त प्रस्ताव के परिपालन में प्रस्तावित भवनों के आवंटन में कुल मूल्य पर 35 प्रतिशत की छूट प्रभावित कृषक परिवारों हेतु प्रदत्त की जाये तथा इससे उत्पन्न होने वाला व्यय भार योजना की रिक्त सम्पत्तियों पर भारित करते हुए इसकी प्रतिपूर्ति कर ली जाये।

जीविकोपार्जन के वैकल्पिक उपाय हेतु प्लेटफार्म आवंटित किये जाने की सुविधा :-

1. भू-अधिग्रहण की कार्यवाही से प्रभावित हरदोई रोड स्थित बसंतकुंज योजना के कृषकों के लिए जीविकोपार्जन हेतु वैकल्पिक रोजगार सृजित किये जाने की दृष्टि से हरदोई रोड स्थित बसंतकुंज योजना के सेक्टर-'आई' में 150 प्लेटफार्म बनाये जाने एवं लाटरी पद्धति से आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है।
2. इसी प्रकार सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना एवं अम्बेडकर नगर योजना के प्रभावित कृषक परिवारों के लिए जानकीपुरम विस्तार

Gyan

[Signature]
[Stamp]

योजना के सेक्टर-3 में 250 प्लेटफार्म बनाये जाने एवं लाटरी पद्धति से आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है।

3. उक्त दोनों योजनाओं में प्रभावित कृषक परिवारों के लिए प्लेटफार्म के आवंटन पर मूल्य में कोई छूट प्रदत्त नहीं होगी। भू अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को आवासीय भवन एवं प्लेटफार्म में से कोई एक ही सुविधा देय होगी तथा इसे भविष्य की किसी अन्य योजना के लिए दृष्टान्त के रूप में लागू नहीं किया जायेगा।
4. लाटरी पद्धति में सम्मिलित किये जाने हेतु अर्हता की दृष्टि से परिवार का आशय सम्बन्धित योजना के भूमि अधिग्रहण की धारा-4 के गजट प्रकाशन की तिथि को परिवार में सम्मिलित पति, पत्नी एवं नाबालिग बच्चों से है।
5. लाटरी पद्धति से आवंटन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग आदि को देय आरक्षण शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगा, किन्तु चूंकि उक्त आवंटन प्रभावित कृषकों के मध्य किया जाना है, अतः विधायक/सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सरकारी सेवक तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
6. लाटरी में सम्मिलित किये जाने हेतु वही परिवार अर्ह होंगे जो सम्बन्धित योजना के लिए भूमि अधिग्रहण की धारा-4 के प्रकाशन के दिनांक को 02 हे० कृषि भूमि धृत कर रहे थे, अर्थात् लघु एवं सीमांत कृषक की परिधि में आते थे।

प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Gyandh
29/9/12

[Signature]
(शैलेश कुमार मिश्र)
लाटरीलक्ष्य (अर्जन)
संवि०
राजसूय

[Signature]
वि. वि. वि. वि.
वि. वि. वि. वि.
वि. वि. वि. वि.

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 140वीं बैठक दिनांक
31 दिसम्बर, 2009 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

- | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. श्री प्रशान्त त्रिवेदी | आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 2. श्री मुकेश कुमार मेश्राम | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 3. श्री अमित कुमार घोष | जिलाधिकारी, लखनऊ। |
| 4. श्री प्रताप सिंह भदौरिया
अपर नगर आयुक्त | प्रतिनिधि-नगर आयुक्त, नगर ट्रिगम,
लखनऊ। |
| 5. श्री सोमेश्वर दयाल, | निदेशक, कोषागार
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। |
| 6. श्री एस0 एस0 काजमी
अधीक्षण अभियन्ता | प्रतिनिधि-मुख्य अभियन्ता,
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ। |
| 7. श्री एन0 आर0 वर्मा | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश। |
| 8. श्रीमती प्रभावती सिंह | संयुक्त निदेशक, उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ। |
| 9. श्री सी0पी0 शर्मा
मुख्य वास्तुविद् नियोजक | प्रतिनिधि-आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ। |
| 10. श्री आर0के0 रावत
क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (मु0) | प्रतिनिधि-महानिदेशक, पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। |
| 11. श्री गोविन्द पाण्डेय | मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0। |
| 12. श्री राम कृष्ण यादव | मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0। |
| 13. श्री मुसव्विर अली 'मन्सू' | मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0। |

अन्य उपस्थिति :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 14. श्री मणि प्रसाद मिश्र | सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ। |
| 15. श्री अवधेश कुमार | वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0। |
| 16. श्री एस0एन0 त्रिपाठी | मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0। |
| 17. श्री रवि जैन | नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0। |
| 18. श्री जे0एन0 रेड्डी | नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0। |



कार्यवाही:-

अध्यक्ष महोदय के सम्बोधन एवं औपचारिक परिचय के पश्चात् कार्यवाही प्रारम्भ हुई तथा विभिन्न एजेन्डा बिन्दुओं के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय लिये गये:-

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26 सितम्बर, 2009 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।


निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26 सितम्बर, 2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26 सितम्बर, 2009 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : प्राधिकरण द्वारा 26 सितम्बर, 2009 की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन का अवलोकन किया गया।

विषय संख्या : 3 लखनऊ नगर में विकलांग विश्वविद्यालय (डा० शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय) की स्थापना हेतु ग्राम सरोसा-भरोसा, सलेमपुर पतौरा एवं पारा की 30.3572 हे० भूमि के भू-उपयोग को "सामुदायिक सुविधाएं (शिक्षण संस्थान)" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।




विषय संख्या : 4

विभूति खण्ड, गोमती नगर में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 (तत्समय 30प्र0 राज्य विद्युत परिषद) को आवासीय एवं सेन्द्रल लोड डिस्पैच स्टेशन उपयोग हेतु आवंटित 12.00 एकड़ भूमि में से 1.00 एकड़ भूमि के भू-उपयोग को 30प्र0 विद्युत नियामक आयोग हेतु कार्यालय उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लेते हुए ले-आउट में भू-उपयोग परिवर्तन की सैद्धान्तिक सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि 30प्र0 पावर कारपोरेशन से 30.00 मीटर चौड़े मार्ग पर एक एकड़ भूमि का चिन्हांकन करा लिया जाये। प्रस्ताव पर जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उपरान्त इसे पुनः प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 5

गोमती बैराज से 8 लेन पुल तक गोमती नदी के दाहिने तटबंध पर सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित किये गये बंधे के निर्माण के फलस्वरूप "रिक्लेम" होने वाली लगभग 8.00 एकड़ भूमि के भू-उपयोग को "पार्क एवं खुला स्थल/हरित पट्टी" से "वाणिज्यिक" में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :


सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा पूर्व में दिनांक 13.08.2009 को अनुमोदित प्रस्ताव के क्रम में शासन को प्रेषित प्रस्ताव पर विचार न करने हेतु शासन को सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 6

बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग के अन्तर्गत होटल के निर्माण को अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त चयनित 8 बाजार मार्गों पर होटल निर्माण की सैद्धान्तिक सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि इन मार्गों पर पार्किंग, यातायात एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के दृष्टिगत केस-टू-केस आधार पर परीक्षण कर प्रस्ताव



उचित पाये जाने पर तकनीकी समिति के माध्यम से मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की जाये।

विषय संख्या : 7

मुथमिज संगम (तमिल समाज) के पक्ष में महानगर योजना के अन्तर्गत आडिटोरियम निर्माण हेतु आवंटित भूखण्ड का कब्जा न मिल पाने के कारण गोमती नगर योजना के विजयन्त खण्ड में वैकल्पिक भूखण्ड का उपलब्ध कराया जाना।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

विषय संख्या : 8

भूखण्ड संख्या सी-38 व सी-39 सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ पर निर्मित आवासीय भवनों को अस्पताल के रूप में उपयोग किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रशासिका फ़तिमा अस्पताल के प्रार्थना पत्र पर विचार।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 9

गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत रिवरव्यू इन्क्लेव के अन्तर्गत बहुमंजिले भवनों का निर्माण।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 10

लखनऊ विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली अनधिकृत कालोनियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात् निर्देश दिये गये कि उक्त कालोनियों के विनियमितीकरण से पूर्व यह परीक्षण किया जाये कि इनमें ग्राम समाज, नगर निगम, तालाब व अन्य सरकारी भूमि आदि समाहित तो नहीं है तथा इनके नियमितीकरण से यातायात व अन्य अवस्थापना सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? इन तथ्यों का भली-भांति परीक्षण कराकर प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।





विषय संख्या : 11

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न कालोनियों में रिक्त स्थल पर फुटकर व्यवसायियों हेतु सुविधा शॉप का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इन दुकानों की लागत व विक्रय मूल्य आदि का विस्तृत विवरण तैयार कर लिया जाये तथा यह भी देख लिया जाये कि इन दुकानों हेतु पात्र व्यक्तियों को हटाने पर उन स्थलों पर पुनः कब्जा न होने पाये। उपर्युक्त बिन्दुओं का परीक्षण कराकर प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 12

लखनऊ विकास प्राधिकरण में उओप्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली 1985 लागू किये जाने विषयक।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

विषय संख्या : 13

समयमान-वेतनमान की सुविधा उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 212/आठ-5-09-199ई/98 दिनांक 18.07.09 का अंगीकरण।

निर्णय :

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का संज्ञान लिया गया।

विषय संख्या : 14


दैनिक वेतनभोगी/वर्कचार्ज (नियत वेतन प्राप्त) कर्मचारियों को देय सुविधा में वृद्धि हेतु।

निर्णय :

प्रस्ताव का पुनर्परीक्षण कर प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 15

व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-सीपी-5 एवं सीपी-6 विराम खण्ड-1 गोमती नगर लखनऊ का भू-उपयोग एकल आवासीय उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।





567

6

निर्णय : प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव पर स्वीकृति इस निर्देश के साथ प्रदान की गयी कि प्रश्नगत भूखण्डों पर केवल एकल आवासीय भवन का निर्माण ही अनुमत्त होगा।

विषय संख्या : 16 महानगर सेक्टर-ए में स्थित भूखण्ड संख्या बी-940 के भू-उपयोग को लखनऊ महायोजना 2001 के अनुसार व्यावसायिक किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। चूंकि प्रश्नगत भूखण्ड योजना के तलपट मानचित्र में आवासीय उपयोग हेतु नियत है, अतः नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क भी यथासमय जमा कराये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 17 बनेट कालमेन एण्ड कम्पनी लि० (टाइम्स आफ इण्डिया) के प्रस्तावित भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि बस टर्मिनल एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधा है, अतः सर्वप्रथम इस तथ्य का परीक्षण कराया जाये कि प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन से यातायातीय व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा।

विषय संख्या : 18 ग्राम-सेमरागढ़ी, सीतापुर रोड, लखनऊ की भूमि खसरा संख्या-201, 204, 205, 218, 219, 220, 221, 222 एवं 223 का भू-उपयोग "आवासीय" से "सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं (डेंटल कालेज)" में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।





निर्णय : चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम प्रश्नगत स्थल पर एप्रोच रोड़ व अन्य अवस्थापना की सुविधाओं की उपलब्धता का परीक्षण कराया जाये तथा इनके विकास में आने वाले व्यय को समानुपातिक रूप से वहन करने हेतु भू-स्वामी से लिखित सहमति प्राप्त की जाये।

उपरोक्त तथ्यों के परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव विस्तृत विवरण के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 19 ग्राम पुरसेनी, परगना-मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ के खसरा संख्या-873 क्षेत्रफल 0.379 हेक्टेयर (3790.00 वर्गमीटर) पर प्रस्तावित प्रबन्धन शिक्षण संस्था हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम प्रश्नगत स्थल पर एप्रोच रोड़ व अन्य अवस्थापना की सुविधाओं की उपलब्धता का परीक्षण कराया जाये तथा इनके विकास में आने वाले व्यय को समानुपातिक रूप से वहन करने हेतु भू-स्वामी से लिखित सहमति प्राप्त की जाये।

उपरोक्त तथ्यों के परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव विस्तृत विवरण के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 20 लखनऊ नगर में आवासों की कमी के दृष्टिगत प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में बहुखण्डीय भवनों का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 21 हरदोई रोड़ योजना (बसंत कुंज) के अन्तर्गत भू-स्वामियों द्वारा उत्पन्न किए गए विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से प्राधिकरण व किसानों के मध्य समझौते के आधार पर पुनः अतिरिक्त धनराशि भुगतान करने के सम्बन्ध में।

565

8

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।


अनु०पू०वि०सं० : 01 गोमती नगर विस्तार योजना में विस्थापित नीति के अन्तर्गत आवंटित भूखण्डों के समायोजन हेतु सेक्टर-1 एवं सेक्टर-6 के तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।


निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनु०पू०वि०सं० : 02 लामार्टीनियर व्यायज कालेज के विस्तार हेतु कोठी मार्टिन साहेब, जियामऊ, जिला-लखनऊ की खसरा संख्या-251 की 36950.00 वर्गमीटर भूमि के भू-उपयोग को "पर्यावरण पार्क (ई०पी०)" से "सामुदायिक सुविधाएं (शैक्षिक संस्थान)" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।


06.01.10
(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव


06/01/10
(मुकेश कुमार मिश्र)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(प्रशान्त त्रिवेदी)

आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषय: हरदोई रोड योजना (बसंत कुंज) के अन्तर्गत भू-स्वामियों द्वारा उत्पन्न किए गए विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से प्राधिकरण व किसानों के मध्य समझौते के आधार पर पुनः अतिरिक्त धनराशि भुगतान करने के सम्बन्ध में।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ.प्र. शासन के शासनादेश संख्या 1973/9-आठ-3-97-56एल.ए./96 दिनांक 09 जून, 1997 के द्वारा हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि के लिए कार्यवाही करने हेतु शासन द्वारा निम्न अनुमोदन प्रदान किया गया था :-

1. दिनांक 01.10.91 को आधार मानकर इस योजना के समतल भूमि के लिए रू० 1,25,000/- तथा गड्डे की भूमि के लिए रू० 75,000/- प्रति बीघा की दर से धनराशि का भुगतान किया जायेगा। मा. मंत्री जी ने यह भी घोषणा की थी कि इस तिथि से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज भी दिया जायेगा।
2. विभिन्न किसानों ने जो धनराशि पहले प्राप्त कर ली होगी वह धनराशि देय धनराशि से काट ली जायेगी।
3. अर्जन से पहले के निर्माण, पेड़, कुंआँ, ट्यूबेल आदि की धनराशि का भुगतान भी नियमानुसार किया जाएगा।

शासन के उपरोक्त अनुमोदन के क्रम में प्राधिकरण द्वारा हरदोई रोड (बसंत कुंज) योजना के अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि के भू-स्वामियों को समझौते के आधार पर प्रतिकर का भुगतान किया गया था। अब तक लगभग रू० 47.40 करोड़ की धनराशि उपरोक्त अनुमोदन के क्रम में विभिन्न हितबद्ध काश्तकारों को आपसी समझौते से अपर जिलाधिकारी (भू.अ.) के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है। स्थिति निम्न अंकित की जा रही है :-

(रसम वी० मिश्र)
जिलाधिकारी (भू.अ.)
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

ग्राम का नाम	कुल खाते	कुल खातो की संख्या जिनमें धनराशि भुगतान की जा चुकी है।	भुगतान हेतु अवशेष खातो की संख्या
बरीकला	190	137	53
पीरनगर	97	93	4
छन्दोईया	116	76	40
बरावनखुर्द	290	246	44
गजराहार	62	24	38
बेगरिया	2	2	0
योग	757	578	179

2. हरदोई रोड योजना में कुल 06 गाँवों की अधिग्रहित भूमि में से लगभग 75 प्रतिशत भूमि के किसानों द्वारा उपरोक्त समझौते के आधार पर धनराशि प्राप्त कर लेने के उपरान्त भी किसानों द्वारा लगभग डेढ़ वर्ष से स्थल पर किए जा रहे धरना प्रदर्शन से विकास कार्यों में आये दिन अवरोध उत्पन्न किया जाता रहा है। उनके द्वारा नगर महापालिका ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 31.05.91 को धारा 18 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुसार रु. 06 प्रतिवर्गफुट की दर से अर्थात् लगभग 13.00 लाख प्रतिबीघा की दर से प्रतिकर भुगतान की मांग की जा रही है। इसी मांग को लेकर उनके द्वारा लगभग 06 माह से हरदोई रोड के समस्त विकास/निर्माण कार्य पूर्ण रूप से बन्द करा दिये गये है, जिससे प्राधिकरण अपने आवंटियों को भूखण्ड का विकास करके कब्जा नहीं दे पा रहा है साथ ही साथ अन्य कार्य यथा- बस अड्डा, एस.टी.पी. आदि का विकास एवं निर्माण नहीं हो पा रहा है।

3. गत दिनों किसानों के प्रतिनिधि से जिलाधिकारी, लखनऊ, उपाध्यक्ष एवं सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर विचार विमर्श किया गया एवं समय-समय पर समस्या का निराकरण का प्रयास किया गया था। समस्या के निराकरण के लिए दिनांक 16.06.09 को शासन को एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि शासन द्वारा दिनांक 09 जून, 1997 के शासनादेश

द्वारा जो अनुमोदन दिया गया था उसके अनुसार दिनांक 01.10.1991 से 15 प्रतिशत ब्याज की व्यवस्था की गयी थी, जब कि योजना की भूमि का कब्जा इससे काफी समय पूर्व वर्ष 1985-86 में प्राधिकरण को प्राप्त हुआ था। अतः समस्या के निराकरण के उद्देश्य से कब्जा प्राप्त करने की तिथि से ब्याज देने पर विचार का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। प्राधिकरण के प्रस्ताव पर आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ.प्र. शासन द्वारा शासनादेश सं. 2815/8-3-09/09 दिनांक 17.06.09 के माध्यम से रू० 1,25,000/- तथा गडढ़े की भूमि के लिए रू० 75,000/- प्रति बीघा की दर से धनराशि भुगतान करने के साथ-साथ भूमि का कब्जा हस्तान्तरण की तिथि से 15 प्रतिशत साधारण ब्याज भुगतान करने के निर्देश दिये गये।

4. शासन के उपरोक्त निर्णय के उपरान्त योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि के लिये हितबद्ध व्यक्तियों को समतल भूमि के लिये रु. 70,000.00 से रु. 1,07,000.00 व गडढ़े की भूमि के लिए रु. 42,000.00 से रु. 70,000.00 प्रतिबीघा की दर से अतिरिक्त भुगतान प्राप्त होता, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् अंकित किया जा रहा है:-

1.	शासनादेश दिनांक 09.06.97 के अनुसार देय श्रितिकर की धनराशि	
	ग्राम बरीकला, पीरनगर, छन्दोईया, बरावनखुर्द, गजराहार, बैगरिया	
(अ)	समतल भूमि हेतु(प्रतिबीघा की दर)	रु. 1,25,000.00
	दिनांक 01.10.91 से 31.12.09 तक	
	15 प्रतिशत साधारण ब्याज	रु. 3,42,187.50
	(18 वर्ष 3 माह)	
	कुल	रु. 4,67,187.50
(ब)	गडढ़े की भूमि हेतु(प्रतिबीघा की दर)	रु. 75,000.00
	दिनांक 01.10.91 से 31.12.09 तक	
	15 प्रतिशत साधारण ब्याज	रु. 2,05,312.50
	(18 वर्ष 3 माह)	
	कुल	रु. 2,80,312.50

2. शासनादेश दिनांक 17.06.09 के अनुसार देय प्रतिकर की धनराशि ग्राम पीरनगर, छन्दोईया, बरावनखुर्द, गजराहार, बेगरिया हेतु-

(अ) समतल भूमि हेतु(प्रतिबीघा की दर)	रु. 1,25,000.00
दिनांक 01.01.85 से 31.12.09 तक	
15 प्रतिशत साधारण ब्याज	रु. 4,50,000.00
(24 वर्ष)	
कुल	रु. 5,75,000.00
(ब) गढ़दे की भूमि हेतु(प्रतिबीघा की दर)	रु. 75,000.00
दिनांक 01.01.85 से 31.12.09 तक	
15 प्रतिशत साधारण ब्याज	रु. 2,70,000.00
(24 वर्ष)	
कुल	रु. 3,45,000.00

ग्राम बरीकला हेतु-

(अ) समतल भूमि हेतु(प्रतिबीघा की दर)	रु. 1,25,000.00
दिनांक 01.01.87 से 31.12.09 तक	
15 प्रतिशत साधारण ब्याज	रु. 4,12,500.00
(22 वर्ष)	
कुल	रु. 5,37,500.00
(ब) गढ़दे की भूमि हेतु(प्रतिबीघा की दर)	रु. 75,000.00
दिनांक 01.01.87 से 31.12.09 तक	
15 प्रतिशत साधारण ब्याज	रु. 2,47,500.00
(22 वर्ष)	
कुल	रु. 3,22,500.00

शासन के उपरोक्त निर्णय के उपरान्त योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि के हितबद्ध व्यक्तियों को समतल भूमि के मामले में ग्राम पीरनगर, छन्दोईया, बरावनखुर्द, गजराहार, बेगरिया में लगभग 1,07,000.00 प्रतिबीघा तथा गढ़दे की भूमि के लिये लगभग रु. 64,000.00 प्रतिबीघा का अतिरिक्त भुगतान प्राप्त

R-

(एस० धी० मिश्र)
संयुक्त निदेशक (पु/वि०)
द०वि०प्रा०, लखनऊ

560


होता तथा ग्राम बरीकला में लगभग रु. 70,000.00 प्रतिबीघा तथा गढ्ढे की भूमि के लिये लगभग रु. 42,000.00 प्रतिबीघा अतिरिक्त भुगतान प्राप्त होता।

5. शासन के उपरोक्त निर्णय के फलस्वरूप किसानों को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त धनराशि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ, उपाध्यक्ष एवं सचिव के स्तर पर किसानों से हुई वार्ता के समय उन्हें अवगत कराया गया था, परन्तु किसानों द्वारा बार-बार यही कहा जाता रहा कि नगर महापालिका ट्रिव्यूनल द्वारा धारा-18 के अन्तर्गत उपरोक्त निर्णय के अनुसार सभी किसानों को रू0 6/- प्रति वर्ग फीट की दर से, सोलेशियम अतिरिक्त प्रतिकर व धारा 4 की तिथि से 15 प्रतिशत का ब्याज सहित भुगतान दिया जाये। तदानुसार भुगतान किये जाने हेतु किसानों द्वारा स्थल पर धरना प्रदर्शन भी किया गया है।

6. लगभग 06 माह से बन्द कार्य को पुलिस बल आदि की सहायता से भी प्रारम्भ कराने का प्रयास किया गया, परन्तु किसानों के प्रतिरोध के कारण सफलता नहीं मिली एवं स्थल पर शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। इस सम्पूर्ण प्रकरण में जिलाधिकारी, लखनऊ, उपाध्यक्ष, व सचिव के स्तर पर विचार-विमर्श हुए एवं यह मत स्थिर हुआ कि पुलिस बल की सहायता से कार्य कराने से स्थल पर शांति व्यवस्था भंग ले सकती है एवं समस्या विकराल रूप हो सकती है। ऐसी स्थिति में काश्तकारों से समझौता करके समस्या का हल निकाला जाए।

7. उपरोक्त के आलोक में उपाध्यक्ष एवं सचिव के स्तर पर दिनांक 24.12.2009 को किसानों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श हुआ एवं समस्या के निराकरण के लिए निम्नानुसार किसानों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है :-

1. समतल भूमि के लिए रू0 1,25,000.00 प्रति बीघा तथा गढ्ढे की भूमि के लिए रू0 75,000.00 प्रति बीघा की दर में 35 प्रतिशत धनराशि भुगतान किया जाए। अर्थात् समतल भूमि के लिए रू0 1,68,750.00 प्रति बीघा तथा गढ्ढे की भूमि के लिए रू0 1,01,250.00 प्रति बीघा की दर से भुगतान किया जाए एवं प्राधिकरण के पक्ष


(एस० वी० मिश्र)
रतिलाल निदेशक (भू/मि)
लखनऊ, लखनऊ

में कब्जा हस्तान्तरण की तिथि से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत साधारण ब्याज का भी भुगतान किया जाए।

2. विभिन्न किसानों ने जो धनराशि पहले प्राप्त कर ली होगी वह धनराशि नियमानुसार देय धनराशि में से काट ली जायेगी।

3. हितबद्ध व्यक्तियों के लिए दुकान/भवन/भूखण्ड की एक योजना तैयार की जाएगी, जिसमें उन्हें दुकान/भवन/भूखण्ड आवंटित किया जाएगा एवं लागत में प्राधिकरण में प्रचलित दर से 35 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

4. योजना के अन्तर्गत स्थित गाँव का विकास किया जाएगा।

5. योजना के अन्तर्गत ग्राम बरीकला व बरावन खुर्द की लगभग 117 एकड़ नजूल की भूमि, जो राजस्व अभिलेखों में भूमिधरी अंकित होने के कारण अर्जित कर ली गई थी तथा लगभग पिछले 50 वर्ष से विभिन्न किसानों के नाम भूमिधर के रूप में दर्ज है, को भी उपरोक्तानुसार अतिरिक्त धनराशि व ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

6. अपर जिलाधिकारी (भू.अ.) के कार्यालय में प्रतिकर की धनराशि के वितरण में आयकर की कटौती की जा रही है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अधिवक्ता की नियुक्ति करके किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. भूमि का कब्जा हस्तान्तरण करने से पूर्व आबादी के चारों ओर यदि कोई निर्माण हो गया था तो उसे योजना में समायोजित किया जाएगा।

8. उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 09 जून 1997 के माध्यम से हितबद्ध व्यक्तियों को समतल भूमि के लिये निर्धारित प्रतिकर की दर ₹0 1,25,000.00 प्रति बीघा तथा गढ़डे की भूमि के लिए ₹0 75,000.00 प्रति बीघा की दर से भुगतान के साथ-साथ दिनांक 01.10.91 से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत साधारण ब्याज दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। तदुपरांत दिनांक 17 जून, 2009 के शासनादेश के द्वारा कब्जा हस्तान्तरण की तिथि से 15 प्रतिशत ब्याज का भुगतान के निर्देश दिए



(एस० वी० मिश्र)
संयुक्त निदेशक (रि/वि०)
राजस्थान सरकार

गए है। अतः अब समतल भूमि के लिए रू0 1,25,000/- तथा गढ़डे की भूमि के लिए रू0 75,000.00 प्रति बीघा की दर में 35 प्रतिशत जोड़कर भुगतान करने एवं कब्जा हस्तान्तरण की तिथि से 15 प्रतिशत ब्याज का अनुमोदन शासन द्वारा ही प्रदान किया जाना होगा। इस हेतु शासन को प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। जहाँ तक हितबद्ध व्यक्तियों को दुकान/भवन/भूखण्ड आवंटित करने तथा उसके लागत में 35 प्रतिशत छूट का प्रश्न है, प्राधिकरण द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है। 35 प्रतिशत छूट की धनराशि इस योजना की कास्टिंग में भारित करते हुए योजना की कास्टिंग संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

गांव के विकास के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व से ही विभिन्न योजना के अन्तर्गत स्थित गांवों का विकास कराया जाता रहा है। उल्लेखनीय है कि सामान्यतः धारा-4 की अधिसूचना के प्रकाशन के उपरान्त किसी व्यक्ति द्वारा किए गए निर्माण आदि अनाधिकृत निर्माण की श्रेणी में आते हैं, परन्तु यह देखा गया है कि प्रायः धारा-4 की अधिसूचना के प्रकाशन के उपरान्त हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा अपने रहने आदि के लिए गांव के किनारे अपने खेतों में निर्माण करा लिया जाता है। वर्तमान समय तक इस योजना में आबादी के चारों ओर काफी निर्माण हो गया है, परन्तु सभी निर्माण को समायोजित किया जाना नियमानुसार नहीं होगा। भूमि का कब्जा प्राधिकरण को हस्तान्तरित हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित भूमि सभी भारों से मुक्त होकर प्राधिकरण/राज्य सरकार में निहित हो जाती है। ऐसी स्थिति में कब्जा हस्तान्तरण किए जाने के उपरान्त किए गये निर्माणों को समायोजित किया जाना नियमानुसार नहीं होगा। अतएव भूमि पर कब्जा हस्तान्तरित होने की तिथि से पूर्व किए गए निर्माण को नियमानुसार विकास शुल्क लेकर योजना के निर्माण में समायोजित करने पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष निम्न प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।


L

(एस० वी० मिश्र)
संयुक्त निदेशक (पू/नि०)
ल०नि०प्रा०, लखनऊ

प्रस्ताव :

उपरोक्त के दृष्टिगत प्राधिकरण के समक्ष निम्न प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है :-

1. हरदोई रोड योजना (बसंत कुंज) के अन्तर्गत भूमि के स्वामियों को शासनादेश दिनांक 09.06.97 में समतल भूमि के लिए निर्धारित प्रतिकर की दर रु. 1,25,000.00 पर 35 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुये रु. 1,68,750.00 प्रति बीघा तथा गढडे की भूमि के लिए निर्धारित प्रतिकर की दर रु. 75,000.00 पर 35 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुये रु. 1,01,250.00 प्रति बीघा की दर से भुगतान करने एवं कब्जे की तिथि से 15 प्रतिशत साधारण ब्याज का भुगतान करने का आनुमोदन प्रदान करने हेतु शासन को संस्तुति करने की।
2. योजना के अन्तर्गत ग्राम बरीकला व बरानखुर्द की 117 एकड़ नजूल की भूमि जो राजस्व अभिलेखों में भूमिधरी अंकित होने के कारण अर्जित कर ली गई थी तथा लगभग 50 वर्षों से विभिन्न किसानों के नाम भूमिधरी के रूप में दर्ज है, को भी उपरोक्तानुसार अतिरिक्त धनराशि व ब्याज का भुगतान किये जाने की।
3. अपर जिलाधिकारी-भू.अ. कार्यालय में प्रतिकर की धनराशि वितरण में आयकर की कटौती की जा रही है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अधिवक्ता की नियुक्ति करके किसानों को उपलब्ध कराये जाने की।
4. हितबद्ध व्यक्तियों के लिए दुकान तथा भवन/भूखण्ड की एक आवासीय योजना तैयार करने की एवं दुकान एवं भवन/भूखण्ड आवंटित करने तथा प्राधिकरण में प्रचलित दर में 35 प्रतिशत की छूट देने की।
5. योजना के अन्तर्गत स्थिति गांव का विकास करने की।
6. कब्जा हस्तान्तरण की तिथि से पूर्व आवादी के चारो ओर किए गए निर्माण को विकास शुल्क लेकर योजना में समायोजित करने की।


 (एस० वी० मिश्र)
 संयुक्त निदेशक (भू./वि०)
 लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 148वीं बैठक दिनांक
09 अप्रैल, 2012 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. श्री प्रशान्त त्रिवेदी आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2. श्री राजीव अग्रवाल उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3. श्री अनुराग यादव जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. श्री शम्भूनाथ उप सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. श्री ज्ञानेन्द्र देव अपर निदेशक,
प्रतिनिधि-निदेशक, कोषागार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. श्री आर0एस0 यादव संयुक्त निदेशक, पर्यटन,
प्रतिनिधि, महानिदेशक, पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. श्री प्रताप सिंह भदौरिया अपर नगर आयुक्त,
प्रतिनिधि-नगर आयुक्त, नगर निगम,
लखनऊ।
8. श्री एस0एस0 दलाल सहयुक्त नियोजक,
सम्भागीय नियोजन खण्ड,
प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
उत्तर प्रदेश।
9. ई0 राजेन्द्र कुमार, मुख्य अभियंता,
जल निगम, लखनऊ।

अन्य उपस्थिति :

10. श्री आनन्द कुमार सिंह सचिव, ल0वि0प्रा0।
11. श्री रवि जैन नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।



विषय संख्या : 1

ग्राम-सेमरागढ़ी, सीतापुर रोड, लखनऊ की भूमि खसरा संख्या-201, 204, 205, 218, 219, 220, 222 एवं 223 का भू-उपयोग "आवासीय" से "सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें (डेन्टल कालेज)" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :


रिट याचिका संख्या-12888 (एम0बी0)/2011 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2011 तथा रिट याचिका संख्या-760/2012 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2012 के समादर में प्राधिकरण द्वारा ग्राम-सेमरागढ़ी, सीतापुर रोड, लखनऊ की खसरा संख्या-201, 204, 205, 218, 219, 220, 222 एवं 223 के भू-उपयोग को "आवासीय" से "सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें (डेन्टल कालेज)" में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में अवगत कराया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.12.2009 के विषय संख्या-18 के अन्तर्गत विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया था:-

"चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम प्रश्नगत स्थल पर एप्रोच रोड व अन्य अवस्थापना की सुविधाओं की उपलब्धता का परीक्षण कराया जाय तथा इनके विकास में आने वाले व्यय को समानुपातिक रूप से वहन करने हेतु भू-स्वामी से लिखित सहमति प्राप्त की जाय। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव विस्तृत विवरण के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।"

पक्ष द्वारा दिये गये इस आशय के शपथ पत्र कि पक्ष द्वारा प्रस्तावित महायोजना मार्ग के विकास हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जायेगी एवं मार्ग के विकास में आने वाले व्यय को समानुपातिक रूप से वहन किया जायेगा, के आधार पर प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 08.09.2011 के विषय संख्या-26 के अन्तर्गत प्राधिकरण के समक्ष पुनः प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिसे प्राधिकरण द्वारा पुनः परीक्षण हेतु स्थगित किया गया।

बैठक में यह अवगत कराया गया लखनऊ महायोजना 2021 में प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग आवासीय प्रस्तावित किया गया है तथा स्थल का आंशिक भाग से महायोजना की 30 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। स्थल पर अधिकांश विकास आवासीय रूप में ही हुआ है। लखनऊ महायोजना 2021 में इस स्थल के निकट सीतापुर रोड तथा हरदोई रोड को मिलाने वाले बाईपास मार्ग के दोनों तरफ महायोजना में "सामुदायिक सुविधायें" भू-उपयोग, जिसके अन्तर्गत "डेन्टल



कालेज" का निर्माण अनुमन्य हो सकता है, की भूमि प्रचुर मात्रा में प्रस्तावित की गयी है। ऐसी स्थिति में अनेक सदस्यों द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि जब महायोजना में डेन्टल कालेज इत्यादि की स्थापना हेतु सामुदायिक सुविधा भू-उपयोग की भूमि इस स्थल के समीप प्रस्तावित की गयी है, तो आवासीय भू-उपयोग की भूमि, जिसके अन्तर्गत डेन्टल कालेज अनुमन्य नहीं किया जा सकता है, के भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव नगर नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं होगा।

बैठक में स्थल पर एप्रोच रोड एवम् अवस्थापना सुविधाओं के विषय में यह अवगत कराया गया कि आई0आई0एम0 रोड से प्रश्नगत स्थल लगभग 981 मी0 की दूरी पर है, जिसमें से पहुँच मार्ग की 200 मी0 की दूरी डामर से निर्मित है एवम् इसकी चौड़ाई लगभग 9 मी0 है, अवशेष 781 मी0 के अन्तर्गत मार्ग प्राइवेट कालोनियों (सोसाइटियों) से 03 मी0 चौड़े खड़जे के रूप में निर्मित है। इस पहुँच मार्ग को आवेदक द्वारा 12 मी0 चौड़ा किया जाना प्रस्तावित किया गया है। स्थल पर विद्यमान मार्ग के दोनों तरफ कुछ स्थानों पर प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा भवन निर्मित किये जा चुके हैं अथवा सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई में भूखण्ड काटे गये हैं, अतः इन स्थानों पर सड़क को चौड़ा किये जाने की सम्भावना क्षीण है। स्थल पर आवश्यक अवस्थापनाओं यथा नाली, सीवर, पानी की आपूर्ति, विद्युतीकरण इत्यादि का कार्य अवशेष/अपूर्ण है। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि स्थल के आसपास अवैध रूप से प्राइवेट कालोनियाँ विकसित हैं, अतः अतिक्रमण के कारण 30 मी0 चौड़े महायोजना मार्ग के निर्माण की सम्भावना नगण्य है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा स्थल पर अपर्याप्त एप्रोच रोड एवं अवस्थापना सुविधायें तथा नगर नियोजन की दृष्टि से प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन औचित्यहीन होने के कारण प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : 2


हरदोई रोड (बसंतकुंज) योजना में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित 06 ग्रामों के किसानों एवं सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना तथा अम्बेडकर नगर योजना के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित 12 ग्रामों के कृषकों को आवासीय एवं जीवन-यापन की समस्या के दृष्टिगत रियायती दरों पर आवासीय सुविधा एवं जीविकोपार्जन हेतु प्राथमिकता पर चबूतरों का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

परिचालन द्वारा पूर्व से प्रेषित प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न बिन्दुओं पर अनुमोदन प्रदान किया गया:-




1. हरदोई रोड स्थित बसंतकुंज योजना के भू-अधिग्रहण से प्रभावित 06 ग्रामों के किसानों के लिए हरदोई रोड योजना स्थित सेक्टर-आई में निर्माणाधीन पंचशील अफोडेबल भवनों में से 112 भवनों का आवंटन भू-अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के मध्य लाटरी की पद्धति से किया जाय।
2. सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना एवं अम्बेडकर नगर योजना (जानकीपुरम् एवं जानकीपुरम् विस्तार योजना) के भूमि-अधिग्रहण से प्रभावित 12 ग्रामों के किसानों के लिए जानकीपुरम् विस्तार योजना के सेक्टर-3 स्थित खरगापुर ग्राम के निकट फ्यूचर डेवलपमेन्ट हेतु आरक्षित भूमि पर 160 भवनों का निर्माण कर उनका आवंटन प्रभावित परिवारों के मध्य लाटरी पद्धति से किया जाय।
3. लाटरी पद्धति हेतु परिवार का आशय सम्बन्धित योजना के भूमि अधिग्रहण की धारा-4 के गजट प्रकाशन की तिथि को परिवार में सम्मिलित पति-पत्नी एवम् नबालिग बच्चों से होगा।
4. लाटरी पद्धति से आवंटन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग आदि को देय आरक्षण शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगा, किन्तु चूंकि उक्त आवंटन प्रभावित कृषकों के मध्य किया जाना है, अतः विधायक/सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सरकारी सेवक तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
5. लाटरी हेतु वही परिवार अर्ह होंगे, जो भूमि अधिग्रहण की धारा-4 के प्रकाशन के दिनांक को 02 हेक्टेयर कृषि भूमि धृत कर रहे थे, अर्थात् लघु एवं सीमान्त कृषक की परिधि में आते थे।
6. पूर्व में प्राधिकरण बोर्ड की 140वीं बैठक दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के विषयक संख्या-21 पर प्राधिकरण द्वारा प्रचलित दर में 35 % छूट देने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया था, जिसके क्रम में प्रस्तावित भवनों के आवंटन में कुल मूल्य पर 35 % की छूट प्रभावित कृषक परिवारों हेतु प्रदत्त किये जाने तथा इससे उत्पन्न होने

वाले व्यय भार को योजना की रिक्त सम्पत्तियों पर भारित करते हुए इसकी प्रतिपूर्ति की जाय।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जीवकोपार्जन के वैकल्पिक उपाय हेतु प्लेटफार्म आवंटित किये जाने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्न बिन्दुओं पर अनुमोदन प्रदान किया गया:-


1. भू-अधिग्रहण की कार्यवाही से प्रभावित हरदोई रोड स्थित बसंतकुंज योजना के कृषकों के लिए जीवकोपार्जन हेतु वैकल्पिक रोजगार सृजित किये जाने की दृष्टि से हरदोई रोड स्थित बसंतकुंज योजना के सेक्टर-आई में 150 प्लेटफार्म बनाये जाने एवं उन्हें लाटरी पद्धति से आवंटित किये जाने की अनुमति।
2. इसी प्रकार सीतापुर नगर प्रसार योजना एवं अम्बेडकर नगर योजना के प्रभावित कृषक परिवारों के लिए जानकीपुरम् विस्तार योजना के सेक्टर-3 में 250 प्लेटफार्म बनाये जाने एवं उन्हें लाटरी पद्धति से आवंटित किये जाने की अनुमति।
3. उक्त दोनों योजनाओं में प्रभावित कृषक परिवारों के लिए प्लेटफार्म के आवंटन पर मूल्य में कोई छूट प्रदत्त नहीं होगी। भू-अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को आवासीय भवन एवं प्लेटफार्म से कोई एक ही सुविधा देय होगी तथा इसे भविष्य की किसी योजना के लिए दृष्टान्त नहीं माना जायेगी।
4. लाटरी पद्धति हेतु परिवार का आशय सम्बन्धित योजना के भूमि अधिग्रहण की धारा-4 के गजट प्रकाशन की तिथि को परिवार में सम्मिलित पति-पत्नी एवम् नबालिग बच्चों से होगा।
5. लाटरी पद्धति से आवंटन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग आदि को देय आरक्षण शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगा, किन्तु चूंकि उक्त आवंटन प्रभावित कृषकों के मध्य किया जाना है, अतः विधायक/सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सरकारी सेवक तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।





6. लाटरी हेतु वही परिवार अर्ह होंगे, जो भूमि अधिग्रहण की धारा-4 के प्रकाशन के दिनांक को 02 हेक्टेयर कृषि भूमि धृत कर रहे थे, अर्थात् लघु एवं सीमान्त कृषक की परिधि में आते थे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।


(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव


(राजीव अग्रवाल)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित


(प्रशान्त त्रिवेदी)

आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।